न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-146/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

विश्वनाथ महतो बनाम बैशाखी देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – विश्वनाथ महतो, पिता–स्व० रूढ़ी महतो, ग्राम–ताऊ बालाडीग, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पता – बैशाखी देवी, पति–श्री सुनील कुमार महतो, ग्राम–ताऊ बालाडीग, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जात–कुर्मी, पेशा–गृहीणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – रामचरण महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–10/12/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता बैशाखी देवी, पति–श्री सुनील कुमार महतो, ग्राम–ताऊ बालाडीग, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहीणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
ताऊ	बुण्डू	27	147	279	03½ डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक–138 दिनांक–24/04/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम चामु महतो वल्द रेपो महतो है।

(2) विक्रेता पंजी–II रैयत चामु महतो पिता–रेपो महतो विक्रेता संलग्न वंशावाली के आधार पर पोता है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम चामु महतो वल्द रेपो महतो है, तथा रैयत के पास कुल रकवा 4.55 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2015–16 तक वसूली गयी है।

(5) खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन III कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन विक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास 2.21½ एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक खर्च हेतु विक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो पिछड़ी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला राँची के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता विश्वनाथ महतो, पिता–स्व० रूढ़ी महतो, ग्राम–ताऊ बालाडींग, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती, को क्रेता बैशाखी देवी, पति–श्री सुनील कुमार महतो, ग्राम–ताऊ बालाडींग, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहीणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–10/12/2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता विश्वनाथ महतो, पिता–स्व० रूढ़ी महतो, ग्राम–ताऊ बालाडींग, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती, को क्रेता बैशाखी देवी, पति–श्री सुनील कुमार महतो, ग्राम–ताऊ बालाडींग, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–गृहीणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

<u>भूमि का विवरण</u>

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
ताऊ	बुण्डू/27	147	279	03½ डी०

लेखापित एवं संशोधित।

17/06/19   17/06/19

भूमि सुधार उप समाहत्ता।
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।